बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक– 2466

प्रेषक,

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
बिहार।

पटना, दिनांक– 07.05.2020

विषयः– COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन की स्थिति में रेलमार्ग द्वारा राज्य के बाहर से आने वाले अप्रवासी मजदूरों को गृह जिला पहुँचाये जाने हेतु परिवहन व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन की स्थिति में बिहार राज्य के बाहर से अप्रवासी मजदूर एवं अन्य लोग विशेष ट्रेन से बिहार वापस आ रहे हैं। इन विशेष ट्रेनों का आगमन राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित रेलवे स्टेशनों पर हो रहा है।

रेलवे स्टेशनों से इन लोगों को उनके गृह जिला पहुँचाने हेतु पूर्व में यात्रियों के गृह जिलों द्वारा वाहन उपलब्ध कराए जा रहे थे। सम्प्रति ट्रेनों की अधिकता के मद्देनजर इस व्यवस्था में व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है। साथ ही ट्रेनों का ठहराव स्थल किसी जिले के यात्रियों की बहुलता के अनुसार निर्धारित करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

उक्त परिपेक्ष्य में राज्य में ट्रेनों के प्रमुख ठहराव स्थल वाले जिलों द्वारा ही वाहन की पर्याप्त व्यवस्था श्रेयष्कर है। इस हेतु निम्न प्रकार वाहनों की व्यवस्था हेतु न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया जाता है:–

क्र0 सं0	जिला	कुल वाहनों की संख्या	संबद्ध जिला
1	2	3	3
1	पटना	150	पटना–130 भोजपुर–20
2	मुजफ्फरपुर	110	मुजफ्फरपुर–90 समस्तीपुर–20
3	दरभंगा	100	दरभंगा–80 मधुबनी–10 सुपौल–10
4	बेगूसराय	100	बेगूसराय–70 खगड़िया–20 शेखपुरा–10
5	छपरा	100	छपरा–70 सिवान–15 वैशाली–15
6	कटिहार	100	कटिहार–70 मधेपुरा–10

			किशनगंज–10 खगड़िया–10
7	भागलपुर	100	भागलपुर–80 मुंगेर–20
8	पूर्णियाँ	100	पूर्णियाँ–80 किशनगंज–20
9	गया	100	गया–70 औरंगाबाद–20 जहानाबाद–10
10	पूर्वी चंपारण एवं प0 चंपारण	150	पूर्वी चंपारण–75 प0 चंपारण–75

उपरोक्त के अतिरिक्त बसों एवं अन्य वाहनों से भी राज्य के बाहर से अप्रवासी मजदूर एवं अन्य लोग काफी बड़ी संख्या में कैमूर एवं गोपालगंज जिले की अंतर्राज्यीय सीमा पर आ रहे हैं। साथ ही प0 बंगाल के सीमा पर भी लोगों के पहुँचने की सूचना है। उक्त परिप्रेक्ष्य में सीमावर्ती जिलों में भी बसों की पर्याप्त व्यवस्था अपेक्षित है। इस हेतु निम्नवत न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

क्र0 सं0	जिला	कुल वाहनों की संख्या	संबद्ध जिला
1	2	3	3
1	कैमूर	80	कैमूर–40 बक्सर–20 औरंगाबाद–10 रोहतास–10
2	गोपालगंज	80	गोपालगंज–60 सिवान–20

अररिया, बाँका, समस्तीपुर, सीतामढी, भोजपुर एवं सहरसा जिलों में भी 50–50 बसों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आवश्यकतानुसार इन बसों का उपयोग अन्य जिलों द्वारा किया जा सके।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी उपरोक्त निर्धारित संख्या के अनुसार अपने वाहन कोषांग में वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। किसी भी समय वाहनों की कमी होने की स्थिति में संबंधित जिले आपस मे समन्वय कर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इस क्रम में निम्न को सुनिश्चित किया जाएगा।

1. संबद्ध जिलों द्वारा खाली बस एक जिला से दूसरे जिला में जिलाधिकारी की अधियाचना पर पुलिस एसकोर्ट में भेजी जाएगी।
2. बसों को उपयोग से पूर्व सेनीटाईज करना आवश्यक होगा।
3. बसों से यात्रियों के परिवहन के क्रम में social distancing का ध्यान रखा जाएगा।
4. बसें यात्रियों को लेकर जिस स्थान से प्रस्थान करेंगी, यात्रियों को गंतव्य जिला के निर्धारित स्थान पर उतार कर वापस उसी जगह लौटेंगी। वापसी में बस पर किसी यात्री को बैठाने की अनुमति नही होगी।

विश्वासभाजन,

7/5/20

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2466 पटना, दिनांक– 07.05.2020

प्रतिलिपिः– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/5/20

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।